तमिलनाडु राज्य और अन्य

बनाम

वी.एस. बालकृष्णन और अन्य आदि

जुलाई 18, 1994

[कुलदीप सिंह और योगेश्वर दयाल, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून: प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा-उदारीकृत पेंशन नियमों के लाभ-डेयरी विकास विभाग से डेयरी विकास निगम में स्थानांतरित कर्मचारी-तत्पश्चात निगम को एक सहकारी महासंघ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-सरकार द्वारा कार्यालय आदेश 1921 जारी कर महासंघ के अस्तित्व में आने की तिथि से या निरंतर सेवा की तिथि से, जो भी बाद में हो, लाभ प्रदान किया गया-उदारीकृत पेंशन नियमों के लाभ-की पात्रता-कार्यालय आदेश की कंडिका 3(ग) और 3(च) को अभिखंडित किया गया-अन्य सभी उपबंधों को पुष्ट किया गया।

तमिलनाडु डेयरी विकास निगम को 4 मई, 1972 को पूरे राज्य में दूध के उत्पादन, संग्रहण और वितरण का कार्य करने के लिए निगमित किया गया था। अपीलकर्ता-राज्य ने डेयरी विकास विभाग के विभिन्न काडरों के कितपय पदों को निगम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। पदधारियों को निगम में प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर माना जाना था।

उक्त निगम में कर्मचारियों को आमेलित करने का प्रश्न विचाराधीन था। इसी बीच राज्य सरकार ने कार्यालय आदेश 731 दिनांक 21 मई, 1973 जारी किया जिसमें लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले अपने कर्मचारियों के लिए सेवांत लाभ प्रदान किए गए थे।

कार्यालय आदेश 378 दिनांक 18 अप्रैल, 1975 द्वारा, राज्य सरकार ने कार्यालय आदेश 731 के लाभों को उन सभी सरकारी सेवकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया जो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित किए गए थे।

डेयरी विकास निगम में कार्यरत सरकारी सेवकों को या तो स्थायी आमेलन के लिए या राज्य सरकार में वापस प्रतिवर्तन के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। इसी बीच सरकार ने कार्यालय आदेश 378 को आस्थगित रखने का निर्णय लिया क्योंकि निगम को एक सहकारी महासंघ द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना थी। इस प्रकार, निगम के कर्मचारियों से प्राप्त विकल्पों के संबंध में कार्रवाई को छोड़ दिया गया था।

कार्यालय आदेश 731 और कार्यालय आदेश 378 को कार्यालय आदेश 284 दिनांक 31 मार्च, 1980 द्वारा संशोधित किया गया था और जिन कर्मचारियों पर उपरोक्त कार्यालय आदेश लागू थे, उन्हें पेंशन के एक साथ आहरण की अनुमति नहीं दी गई थी और यह उपबंध किया गया था कि वे सरकार की सेवा करने की अवधि के लिए पेंशन के हकदार सरकारी उपक्रमों से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही होंगे। पेंशन के रूपांतरण का लाभ, यदि पहले नहीं लिया गया था, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्ति पर ही उपलब्ध होना था। उद्योग निगम के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दावा करते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएं दायर कीं कि वे उद्योग निगम में अपने स्थायी आमेलन पर लाभों के हकदार थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके विकल्पों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद लाभों से वंचित किया जाना पूरी तरह से मनमाना और वचनबद्धता विबंधन के सिद्धांत का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को अनुज्ञात किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कार्यालय आदेश 731 के अंतर्गत लाभों के हकदार थे।

डेयरी विकास निगम को 1 फरवरी, 1981 से तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त निगम के उन सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया था जिनमें वे शामिल थे जो प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर थे।

अंततः, तमिलनाडु सरकार ने कार्यालय आदेश 1921 दिनांक 8 नवंबर, 1983 जारी किया जिसमें उन सरकारी सेवकों को सेवांत लाभ प्रदान किए गए जो डेयरी विकास निगम के साथ और उसके बाद प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर महासंघ के साथ कार्य कर रहे थे। लाभ

1 फरवरी, 1981 से या महासंघ में प्रतिनियुक्तिदाता की निरंतर सेवा की तिथि से, जो भी बाद में हो, उपलब्ध कराए जाने थे। इसे महासंघ के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं को बाद में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त कार्यालय आदेश को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ मूल आवेदन भी दायर किए गए थे। न्यायाधिकरण ने आवेदनों को अनुज्ञात किया, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने तात्कालिक अपीलें दायर की हैं।

कर्मचारियों की ओर से यह निवेदन किया गया था कि सभी कर्मचारी महासंघ के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर बने हुए थे और इस रूप में, सरकारी सेवक थे और नागरिक सेवकों के रूप में उनकी स्थिति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें महासंघ के स्थायी कर्मचारियों के रूप में आमेलित होने के विकल्प न दिए जाएं। यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1975 में कर्मचारियों द्वारा दिए गए विकल्प कार्यालय आदेश 378 से जुड़े थे और इस रूप में, उक्त कार्यालय आदेश में पेश किए गए सेवांत लाभ उत्तरदाताओं को दिए जाने चाहिए।

अपीलकर्ता-राज्य ने निवेदन किया कि उत्तरदाताओं ने वर्ष 1972/74 में बहुत पहले सरकारी सेवा छोड़ दी थी और वास्तव में वे निगम और उसके बाद महासंघ की सेवा कर रहे हैं; और यह कि सरकार न्यायालयों द्वारा जारी स्थगन आदेशों के कारण उन्हें महासंघ की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित करने के औपचारिक आदेश जारी नहीं कर सकी।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. एक सरकारी सेवक को उसकी सहमति के बिना "नागरिक सेवक" के रूप में उसकी स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून का यह प्रस्ताव अनिधक्षेपणीय है। लेकिन तात्कालिक मामले में उत्तरदाताओं के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग महासंघ के अंतर्गत स्थायी कर्मचारियों के रूप में सेवा स्वीकार करना है। निगम का

गठन वर्ष 1972 में किया गया था और राज्य सरकार द्वारा 762 पद निगम को स्थानांतरित किए गए थे। स्पष्ट रूप से, ये सभी पद सरकार के डेयरी विकास विभाग के गठित पद थे। डेयरी विकास विभाग में इन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए इतने पद शेष नहीं हो सकते हैं जो महासंघ की सेवा में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने से इनकार करते हैं। इसलिए, समय के इस बिंदु पर और इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में समस्या को हल करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यह मानना होगा कि उन सभी कर्मचारियों को महासंघ की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाला माना जाएगा। [747-ङ-छ]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 1975 में कर्मचारियों को कुछ प्रकार के विकल्प दिए गए थे लेकिन उन पर इस कारण से कार्रवाई नहीं की गई थी कि कार्यालय आदेश 378 के संचालन को आस्थगित रखा गया था और बाद में इसे कार्यालय आदेश 284 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उसके अतिरिक्त निगम को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक सहकारी महासंघ का गठन करने का निर्णय लिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, राज्य सरकार के इस रुख में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती कि विकल्पों के संबंध में कार्रवाई को छोड़ दिया गया था। [748-क-ख]

3. पारिवारिक पेंशन और भविष्य के उदारीकृत पेंशन नियमों के लागू होने के संबंध में उपबंधों [कार्यालय आदेश 1921 की मद 3(ग) और 3(च)] को छोड़कर उक्त कार्यालय आदेश के अन्य सभी उपबंध तर्कसंगत हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। एक बार जब महासंघ में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति सरकार के अंतर्गत उसके द्वारा दी गई सेवा की अवधि के संबंध में आनुपातिक पेंशन का हकदार है, तो वह पारिवारिक पेंशन के लाभ का भी हकदार है। इसलिए, कार्यालय आदेश की कंडिका 3(ग) को अभिखंडित किया गया है। उत्तरदाता उन्हें दी गई आनुपातिक पेंशन के आधार पर पारिवारिक पेंशन के लाभ के हकदार होंगे। इसी प्रकार, ऐसा कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है कि कर्मचारियों को

महासंघ की सेवा में उनके स्थायी आमेलन के बाद, उस पेंशन के संबंध में पेंशन नियमों के आगे के उदारीकरण का लाभ, यदि कोई हो, क्यों न दिया जाए जो वे पहले से ही सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। यह उपबंध भी प्रत्यक्ष रूप से मनमाना है। इसलिए, उक्त कार्यालय आदेश की कंडिका 3(च) को अभिखंडित किया गया है और यह माना जाता है कि महासंघ के साथ अपने स्थायी आमेलन के बाद कर्मचारी भविष्य में उदारीकृत पेंशन नियमों के लाभ, यदि कोई हो, के हकदार होंगे। कार्यालय आदेश 1921 के अन्य सभी उपबंध तर्कसंगत हैं और इस रूप में हम उन्हें पुष्ट करते हैं। [748-च-ज, 749-क]

4. वे सभी कर्मचारी जो 1 फरवरी, 1983 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें स्थायी रूप से महासंघ की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाला माना जाएगा और, इस रूप में, वे कार्यालय आदेश 1921 के निबंधनों के अनुसार सेवांत लाभों के हकदार होंगे। [749-ख]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1993 की दीवानी अपील संख्या 1387 से 1395।

मद्रास में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के टी.ए. संख्या 704, 705/91, 313/90 (रिट याचिका संख्या 11943, 12118/86, 4519/87) ओ.ए. संख्या 2376, 2914/90, 770/91, 2215/91, 2904, और 1635 वर्ष 1991 में दिनांक 26.6.92 के निर्णय और आदेश से उद्भूत।

दीवानी अपील संख्या 1387-95 में अपीलकर्ताओं के लिए वी.आर. रेड्डी, महान्यायवादी और पी.आर. सीथारामन।

उत्तरदाताओं के लिए कपिल सिबल, चिदंबरम, अरुण जेटली, जे.के. दास, सुश्री नीना गुप्ता, नंद कुमार, विनीत कुमार, सुश्री इंदु मल्होत्रा और सुश्री वी. मोहाना।

मध्यक्षेपकर्ता/आवेदक के लिए राजिंदर सच्चर, ए.वी. रंगम और अंबरीश कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति। तमिलनाडु सरकार ने मार्च 1972 में राज्य सरकार के डेयरी विकास विभाग की संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि को अपने हाथ में लेने के दृष्टिकोण से एक

सरकारी कंपनी बनाने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप तमिलनाडु डेयरी विकास निगम लिमिटेड (निगम) को 4 मई, 1972 को निगमित किया गया था। निगम के उद्देश्य पूरे तमिलनाडु राज्य में दूध के उत्पादन, संग्रहण और वितरण का व्यवसाय करना था। तमिलनाडु सरकार ने दिनांक जून 29, 1972 के आदेश द्वारा डेयरी विकास विभाग के विभिन्न काडरों के 431 पदों को 1 जुलाई, 1972 से निगम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। 296 पद उक्त पदों के पदधारियों के साथ स्थानांतरित किए गए थे और शेष स्थानांतरित पद खाली थे। तत्पश्चात, एक अन्य आदेश द्वारा 331 पद-217 पदधारियों सहित-को 1 जुलाई, 1974 से निगम में स्थानांतरित कर दिया गया था। पदों के पदधारियों को निगम में प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर माना जाना था।

जबकि निगम की सेवा कर रहे प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर लगभग 500 कर्मचारियों को आमेलित करने का प्रश्न विचाराधीन था, तमिलनाडु सरकार के समक्ष लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (उद्योग निगम) में प्रतिनियुक्तिदाताओं से संबंधित एक वैसी ही स्थिति आई। सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या 731 दिनांक 21 मई, 1973 जारी किया जिसमें उद्योग निगम की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवांत लाभ प्रदान किए गए थे। लाभों में कर्मचारियों द्वारा सरकार की सेवा में रहने की अवधि के लिए अर्जित पेंशन/उपदान का भुगतान शामिल था। उन्हें पूर्ण पेंशन को रूपांतरित करने या उद्योग निगम से प्राप्त होने वाले वेतन के साथ-साथ इसे एक साथ आहरित करने की भी अनुमति दी गई थी।

तमिलनाडु सरकार ने कार्यालय आदेश 378 दिनांक 18 अप्रैल, 1975 द्वारा कार्यालय आदेश 731 के लाभों को-जो उद्योग निगम के कर्मचारियों के लिए थे-उन सभी सरकारी सेवकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया जो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित किए गए थे।

निगम में कार्यरत सरकारी सेवकों को-संभवतः कार्यालय आदेश 378 के संदर्भ में-या तो निगम में स्थायी आमेलन के लिए या राज्य सरकार में वापस प्रतिवर्तन के लिए अपने विकल्पों का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। हालांकि, सरकार का यह मामला है कि इसी बीच कार्यालय आदेश 378 को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। सरकार द्वारा आगे यह कथन किया गया है कि चूंकि निगम को एक सहकारी महासंघ द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना थी, इसलिए निगम के कर्मचारियों से प्राप्त विकल्पों के संबंध में कार्रवाई को छोड़ दिया गया था।

यहाँ यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि कार्यालय आदेश 731 और कार्यालय आदेश 378 को कार्यालय आदेश 284 दिनांक 31 मार्च, 1980 द्वारा संशोधित किया गया था और जिन कर्मचारियों पर उपरोक्त कार्यालय आदेश लागू थे, उन्हें पेंशन के एक साथ आहरण की अनुमति नहीं दी गई थी और यह उपबंध किया गया था कि वे सरकार की सेवा करने की अवधि के लिए पेंशन के हकदार सरकारी उपक्रमों से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही होंगे। पेंशन के रूपांतरण का लाभ, यदि पहले नहीं लिया गया था, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्ति पर ही उपलब्ध होना था।

उद्योग निगम के कर्मचारियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 1980 की 1917 और 1928, *एस. आनंदा एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य,* जिसका निर्णय 18 जनवरी, 1993 को हुआ, दायर की जिसमें यह कथन किया गया था कि उसमें दिए गए याचिकाकर्ताओं को कार्यालय आदेश 731 द्वारा कुछ सेवांत लाभ दिए गए थे और वे उद्योग निगम में अपने स्थायी आमेलन पर उक्त लाभों के हकदार हो गए थे। यह आगे तर्क दिया गया था कि उनके विकल्पों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, कार्यालय आदेश 284 द्वारा उन लाभों को वापस लिया जाना पूरी तरह से मनमाना और वचन विबंध के सिद्धांत का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कार्यालय आदेश 731 में पेश किए गए सेवांत लाभों को स्वीकार करते हुए, कर्मचारियों ने अपने

विकल्पों का प्रयोग किया था जिन्हें स्वीकार किया गया था और सरकार द्वारा उन्हें सेवांत लाभ प्रदान किए गए थे। उच्च न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कर्मचारियों के विकल्प कार्यालय आदेश 731 से जुड़े थे और इस रूप में उन्हें एकपक्षीय रूप से वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को अनुज्ञात किया और निर्देश दिया कि उसमें दिए गए याचिकाकर्ता उन लाभों के हकदार थे जो उन्हें कार्यालय आदेश 731 के अंतर्गत पेश किए गए थे।

निगम के कर्मचारियों पर वापस आते हुए जिनसे हम संबंधित हैं, सरकार ने दिनांक 21 मार्च, 1980 को एक अन्य आदेश जारी किया जिसके द्वारा निगम को 1 फरवरी, 1981 से तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (महासंघ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निगम के उन सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया था जिनमें वे शामिल थे जो प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर थे।

तमिलनाडु सरकार ने अंततः कार्यालय आदेश 1921 दिनांक 8 नवंबर, 1983 जारी किया जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों को सेवांत लाभ प्रदान किए गए जो निगम के साथ और उसके बाद प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर महासंघ के साथ कार्य कर रहे थे। सरकार के आदेश में यह कथन किया गया था कि महासंघ में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित सेवांत लाभ दिए जाएंगे :-

1. सामान्य भविष्य निधि के संचय को महासंघ के अंतर्गत भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित करना।

2. उपदान का तत्काल नकद भुगतान।

3. सरकारी सेवा में बिताई गई अवधि के संबंध में पेंशन की गणना स्थानांतरण के समय की जाएगी लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी की महासंघ से सेवानिवृत्ति पर ही देय होगी। महासंघ से सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन के 1/3 मूल्य तक रूपांतरित करने का हकदार होगा।

4(क). उन औद्योगिक श्रमिकों के मामले में जो महासंघ में सेवा का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें उनके मूल विभाग में वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा, यदि मूल विभाग में उन्हें समायोजित करने के लिए कोई पद नहीं है, तो उन्हें श्रम कानूनों के अनुसार छंटनी मुआवजा दिया जाएगा।

4(ख). उन गैर-औद्योगिक श्रमिकों के मामले में जो महासंघ की सेवा करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें उनके मूल विभाग में वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि उनके मूल विभाग में उन्हें समायोजित करने के लिए कोई पद नहीं है, तो उन्हें मुआवजा - पेंशन दी जाएगी जैसा कि तमिलनाडु पेंशन नियमों में उपबंधित है।

5. *पारिवारिक पेंशन-* चूंकि महासंघ में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं रह जाएगा, इसलिए पारिवारिक पेंशन के लिए सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा।

6. *अर्जित अवकाश-* कर्मचारी को आमेलन की तिथि पर उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश की मात्रा के 50 प्रतिशत के समतुल्य नकद भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। जमा शेष को महासंघ के अंतर्गत व्यक्ति के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके अवकाश वेतन का पूर्ण दायित्व उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों को देय अवकाश वेतन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उपक्रम को भुगतान किया जाएगा।

7. अन्य प्रकार के अवकाश महासंघ में कर्मचारी के आमेलन पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश और निजी मामलों पर अवकाश के प्रति सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा।

8. महासंघ में एक सरकारी सेवक के स्थायी आमेलन के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा तय किए गए पेंशन नियमों का कोई और उदारीकरण उन तक विस्तारित नहीं किया जाएगा।

9. उन मामलों में जहां आमेलन के समय किसी कर्मचारी की सरकारी सेवा दस वर्ष से कम है और वह पेंशन का पात्र नहीं है, वह पेंशन के बदले केवल आनुपातिक सेवा उपदान और सेवा की अवधि के आधार पर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र होगा।

कार्यालय आदेश 1921 में आगे यह उपबंध किया गया था कि महासंघ में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवांत लाभों की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि महासंघ के गठन की तिथि (1 फरवरी, 1981) से या महासंघ में प्रतिनियुक्तिदाता की निरंतर सेवा की तिथि से होगी, जो भी बाद में हो।

उपरोक्त उद्धृत कार्यालय आदेश 1921 को तमिलनाडु उच्च न्यायालय के समक्ष महासंघ के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा तीन विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इन विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को बाद में तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) को स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ मूल आवेदन भी दायर किए गए थे। न्यायाधिकरण द्वारा सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की गई। न्यायाधिकरण ने दिनांक 26 जून, 1992 के अपने विस्तृत निर्णय द्वारा आवेदनों को अनुज्ञात किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

> "(1). इस आदेश में किए गए अवलोकन के आलोक में जी.ओ.एम. संख्या 1921, कृषि दिनांक 8.11.1983 में जारी किए गए आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और तदनुसार हम उस आदेश को अभिखंडित करते हैं।
>
> (2) वे व्यक्ति जो प्रत्येक मामले में व्यक्तियों के विकल्प पर विचार करने के बाद तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ में उनके आमेलन के लिए विनिर्दिष्ट आदेश जारी होने से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुए हैं, वे सरकारी सेवक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे और उस आधार पर सभी लाभों के हकदार होंगे।

यह न केवल हमारे समक्ष उपस्थित आवेदकों पर लागू होगा बल्कि उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा महासंघ में आमेलित होने से पूर्व अपने विकल्प के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

चूंकि जो व्यक्ति पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके मामलों में विलंब इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण उत्पन्न हुआ था, उनकी स्थिति के संबंध में निर्णय के लिए, उपदान के संबंध में सरकारी आदेशों के अंतर्गत के अलावा कोई ब्याज देय नहीं होगा।"

कर्मचारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदंबरम ने तर्क दिया है कि सभी कर्मचारी महासंघ के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर बने हुए हैं और, इस रूप में, सरकारी सेवक हैं। उनके अनुसार, नागरिक सेवकों के रूप में उनकी स्थिति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें महासंघ के स्थायी कर्मचारियों के रूप में आमेलित होने के विकल्प न दिए जाएं। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि वर्ष 1975 में कर्मचारियों द्वारा दिए गए विकल्प कार्यालय आदेश 378 से जुड़े थे और, इस रूप में, उक्त सरकारी आदेश में पेश किए गए सेवांत लाभ उत्तरदाताओं को दिए जाने चाहिए। दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिबल ने तर्क दिया है कि वर्ष 1972/74 में राज्य सरकार द्वारा 762 पद-जिसमें 513 पदधारियों सहित शामिल थे-निगम को स्थानांतरित किए गए थे। उनके अनुसार संबंधित क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी विभाग को एक निगम में परिवर्तित किया गया था। यह सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से ज्ञात था कि वे निगम की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित होने जा रहे हैं। तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी श्री वी.आर. रेड्डी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि उत्तरदाताओं ने वर्ष 1972/74 में बहुत पहले सरकारी सेवा छोड़ दी थी और वास्तव में वे निगम और उसके बाद महासंघ की सेवा कर रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार उत्तरदाताओं को महासंघ की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित करने का औपचारिक आदेश जारी नहीं कर सकी

क्योंकि अदालतों द्वारा स्थगन आदेश पूरी कार्यवाहियों के दौरान प्रभावी रहे थे। कार्यवाहियों के दौरान कार्यालय आदेश 1921 का संचालन स्थगित रहा।

हम श्री चिदंबरम से सहमत हैं कि एक सरकारी सेवक को उसकी सहमति के बिना "नागरिक सेवक" के रूप में उसकी स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून का यह प्रस्ताव अनिधक्षेपणीय है। लेकिन इसके साथ ही इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां संदेह का कोई जरिया नहीं छोड़ती हैं कि उत्तरदाताओं - कर्मचारियों के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग महासंघ के अंतर्गत स्थायी कर्मचारियों के रूप में सेवा स्वीकार करना है। निगम का गठन वर्ष 1972 में किया गया था और राज्य सरकार द्वारा 762 पद निगम को स्थानांतरित किए गए थे। स्पष्ट रूप से, ये सभी पद सरकार के डेयरी विकास विभाग के गठित पद थे। डेयरी विकास विभाग में उन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए इतने पद शेष नहीं हो सकते हैं जो महासंघ की सेवा में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने से इनकार करते हैं। इसलिए, समय के इस बिंदु पर और इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में समस्या को हल करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यह मानना होगा कि उन सभी कर्मचारियों को महासंघ की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाला माना जाएगा। हालांकि, हम इस प्रश्न का परीक्षण करने के मंतव्य रखते हैं कि क्या कार्यालय आदेश 1921 में पेश किए गए सेवांत लाभ तर्कसंगत हैं या किसी भी संबंध में मनमाने हैं।

हमने श्री चिदंबरम द्वारा उठाए गए इस तर्क पर अपना विचारपूर्ण ध्यान दिया है कि कर्मचारी कार्यालय आदेश 378 में उपबंधित सेवांत लाभों के हकदार हैं। हम उनसे सहमत होने का मंतव्य नहीं रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 1975 में कर्मचारियों को कुछ प्रकार के विकल्प दिए गए थे लेकिन उन पर इस कारण से कार्रवाई नहीं की गई थी कि कार्यालय आदेश 378 के संचालन को आस्थगित रखा गया था और बाद में इसे कार्यालय आदेश 284 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उसके अतिरिक्त निगम को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक सहकारी महासंघ का गठन करने का निर्णय लिया गया था। मामले के

इस दृष्टिकोण में, हम राज्य सरकार के इस रुख में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि विकल्पों के संबंध में कार्रवाई को छोड़ दिया गया था। इसलिए, हम इस तर्क में कोई बल नहीं देखते हैं कि उत्तरदाता कार्यालय आदेश 378 में उपबंधित सेवांत लाभों के हकदार हैं।

एस. आनंदा के मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय उत्तरदाताओं के लिए किसी काम का नहीं है। उस मामले में उद्योग निगम के कर्मचारियों को दिए गए विकल्प सीधे कार्यालय आदेश 731 से जुड़े थे। उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से कार्यालय आदेश 731 में विस्तृत सेवांत लाभों के आधार पर अपने विकल्प देने के लिए कहा गया था। उन्होंने सेवांत लाभों को स्वीकार किया और उद्योग निगम की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुना। सरकार ने भी कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। कार्यालय आदेश 731 में अंतर्विष्ट सेवांत लाभों पर आधारित संपूर्ण चक्र पूरा हो गया था। उच्च न्यायालय, परिस्थितियों के अंतर्गत, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सरकार साम्यापूर्ण विबंध के सिद्धांत से बाध्य थी और कार्यालय आदेश 731 के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट सकती थी।

अब हम कार्यालय आदेश 1921 में पेश किए गए सेवांत लाभों का परीक्षण कर सकते हैं। हम निर्णय के पूर्व भाग में उक्त लाभों को पहले ही विस्तार से प्रगणित कर चुके हैं। हमारा यह विचार है कि पारिवारिक पेंशन और भविष्य के उदारीकृत पेंशन नियमों के लागू होने के संबंध में उपबंधों [कार्यालय आदेश 1921 की मद 3(ग) और 3(च)] को छोड़कर उक्त कार्यालय आदेश के अन्य सभी उपबंध तर्कसंगत हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। हमारा यह विचार है कि एक बार जब महासंघ में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति सरकार के अंतर्गत उसके द्वारा दी गई सेवा की अवधि के संबंध में आनुपातिक पेंशन का हकदार है, तो वह पारिवारिक पेंशन के लाभ का भी हकदार है। इसलिए, हम कार्यालय आदेश की कंडिका 3(ग) को अभिखंडित करते हैं और निर्देश देते हैं कि उत्तरदाता उन्हें दी गई आनुपातिक पेंशन के आधार पर पारिवारिक पेंशन के लाभ के हकदार होंगे। इसी

प्रकार, हम ऐसा कोई औचित्य नहीं देखते हैं कि कर्मचारियों को महासंघ की सेवा में उनके स्थायी आमेलन के बाद, उस पेंशन के संबंध में पेंशन नियमों के आगे के उदारीकरण का लाभ, यदि कोई हो, क्यों न दिया जाए जो वे पहले से ही सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। यह उपबंध भी प्रत्यक्ष रूप से मनमाना है। इसलिए, हम उक्त कार्यालय आदेश की कंडिका 3(च) को अभिखंडित करते हैं और यह मानते हैं कि महासंघ के साथ अपने स्थायी आमेलन के बाद कर्मचारी भविष्य में उदारीकृत पेंशन नियमों के लाभ, यदि कोई हो, के हकदार होंगे। कार्यालय आदेश 1921 के अन्य सभी उपबंध तर्कसंगत हैं और इस रूप में हम उन्हें पुष्ट करते हैं।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि वे सभी कर्मचारी जो 1 फरवरी, 1983 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें स्थायी रूप से महासंघ की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुनने वाला माना जाएगा और, इस रूप में, वे कार्यालय आदेश 1921 के निबंधनों के अनुसार सेवांत लाभों के हकदार होंगे।

हम उपरोक्त निबंधनों के अनुसार अपीलों को अनुज्ञात करते हैं, न्यायाधिकरण के निर्णय को अपास्त करते हैं और उत्तरदाताओं द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर स्थानांतरण आवेदनों और मूल आवेदनों को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

जी.एन. अपील अनुज्ञात की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।